गेल की समान अवसर नीति
(दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा - 21)

1. पृष्ठभूमि :

1.1 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को संसद द्वारा 2016 के अधिनियम संख्या 49 के माध्यम से अधिनियमित किया गया है । अधिनियम की धारा - 21(1) के संदर्भ में, प्रत्येक प्रतिष्ठान समान अवसर नीति को अधिसूचित करेगा, जिसमें उनके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का विवरण दिया जाएगा । गेल रोजगार और अन्य सेवा मामलों में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) सहित सभी को समान अवसर प्रदान करने में विश्वास रखता है ।

2. प्रयोज्यता :

2.1 इन नियमों को गेल की समान अवसर नीति कहा जाएगा और यह गेल के सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जिसका उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना है तथा ऐसा कार्य वातावरण बनाए रखने का प्रयास करना है जो दिव्यांगजनों के साथ किसी भी उत्पीड़न या भेदभाव से मुक्त हो । यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, कंपनी द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित पात्रता और सेवा शर्तों के अधीन, दिव्यांगजनों को बिना किसी भेदभाव के समान रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गेल की नीति होगी ।

3. समान अवसर एवं गैर-भेदभाव :

3.1 गेल पीडब्ल्यूबीडी हेतु उपयुक्त पदों पर रोजगार के लिए चयनित दिव्यांगजनों (PwBD) को समान अवसर प्रदान करेगा । कंपनी उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रभावी रूप से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए अपेक्षित सुविधाएं और उपकरण भी प्रदान करेगी । इसके अलावा, कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेगी कि दिव्यांगजनों को उनके कार्यों, दायित्वों के निर्वहन करने तथा उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए ।

4. प्रतिष्ठान में दिव्यांगजनों हेतु पहचान किए गए उपयुक्त पदों की सूची :

4.1 गेल समय-समय पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांग), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पीडब्ल्यूबीडी के लिए पहचान किए गए पदों की सूची से संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा । भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार दिव्यांगजनों को आरक्षण, छूट और रियायतें प्रदान की जाएंगी ।

4.2 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-III, दिनांक 04.01.2021 के आधार पर, वर्तमान में पहचान किए गए पदों की सूची जो दिव्यांगजनों (PwBD) के लिए उपयुक्त हैं, उसकी सूची **अनुलग्नक - I** में दी गई है । भविष्य में भी भर्ती की प्रक्रिया के दौरान समय-समय पर दिव्यांगजनों (PwBD) के लिए उपयुक्त पदों की सूची की पहचान की जाएगी । तदनुसार, दिव्यांगजनों के लिए ऐसे चिन्हित पदों को सीधी भर्ती हेतु गेल के विभिन्न विज्ञापनों में अधिसूचित किया जाएगा ।

5. विभिन्न पदों के लिए दिव्यांगजनों (PwBD) के चयन की प्रक्रिया :

5.1 गेल योग्यता के आधार पर और संभावित अभ्यर्थियों की दिव्यांगताओं के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाएगा । नियमों के अनुसार जारी अपेक्षित दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों को ही चिन्हित पदों हेतु चयन करने के लिए विचार किया जाएगा । दिव्यांगजनों (PwBD) के लिए विशेष भर्ती अभियान सहित भर्ती अधिसूचना रोजगार समाचार और दैनिक समाचार पत्रों में तथा अधिनियम में उल्लिखित किसी अन्य प्राधिकारी को अधिसूचित की जाएगी । दिव्यांगजनों (PwBD) के संबंध में विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया का प्रारूप मौजूदा गेल भर्ती नीति और प्रक्रिया के अनुरूप होगा ।

5.2 दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों के लिए, गेल में भर्ती हेतु निम्नलिखित रियायतें/छूटें प्रदान की जाएंगी :

i) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन-क्रीमी लेयर) और दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थी समय-समय पर राष्ट्रपति के निर्देशों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित छूट के लिए पात्र होंगे :
   - अनारक्षित – दिव्यांग (PwBD) श्रेणी के अभ्यर्थी - 10 वर्ष
   - अ.पि.व. (एनसीएल) - दिव्यांग (PwBD) श्रेणी के अभ्यर्थी - 13 वर्ष
   - अ.जा./अ.ज.जा. - दिव्यांग (PwBD) श्रेणी के अभ्यर्थी - 15 वर्ष

ii) दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को अपेक्षित योग्यता मानदंड में न्यूनतम योग्यता अंकों में 5% की छूट भी दी जाएगी ।

iii) इसके अलावा, दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को निम्नलिखित छूट की अनुमति दी जाएगी:
   - **<u>कार्यपालक ग्रेड हेतु</u>** :
     - समूह चर्चा/दक्षता परीक्षा/शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण या कौशल एवं पात्रताओं का आकलन करने के लिए अपनाए गए किसी अन्य माध्यम में न्यूनतम अर्हता प्रतिशत में 5% की छूट (अर्थात् दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों के लिए 35% न्यूनतम योग्यता प्रतिशत, जबकि सामान्य/अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के लिए 40%)
     - साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हता प्रतिशत में 5% की छूट (अर्थात दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों के लिए 55% न्यूनतम अर्हता प्रतिशत जबकि सामान्य/अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के लिए 60%)
   - **गैर-कार्यपालक ग्रेड हेतु** :
     - लिखित परीक्षा में कुल अंकों के न्यूनतम अर्हता प्रतिशत में 10% की छूट (अर्थात् दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों के लिए 30% न्यूनतम अर्हता प्रतिशत, जबकि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 40%)

iv) यदि पद दिव्यांग (PwBD) श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, तो दिव्यांग (PwBD) श्रेणी के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अलग सत्र में लिया जाएगा ।

v) गेल दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों के लिए परीक्षण केंद्र पर बाधा रहित वातावरण प्रदान करेगा ।

vi) साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को आउट-स्टेशन तक आवागमन हेतु यात्रा किराया प्रतिपूर्ति किया जाएगा ।

vii) दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी ।

viii) योग्यता के आधार पर चयनित दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों की भर्ती अनारक्षित (यूआर) रिक्तियों में की जाएगी और उन्हें उनके संबंधित कोटा में समायोजित नहीं किया जाएगा ।

ix) भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को स्क्राइब उपलब्ध कराया जाएगा ।

x) आवश्यकता के आधार पर दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को दुभाषिया भी उपलब्ध कराया जाएगा।

6. <u>भर्ती के पश्चात और पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण सुविधा :</u>

6.1 गेल दिव्यांगजनों सहित नए कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगा ताकि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में सक्षम हो सकें । प्रशिक्षण की आवश्यकता, इसके प्रकार और प्रारूप निगमित मानव संसाधन विकास विभाग के परामर्श से गेल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

6.2 दिव्यांग कार्मिकों के लिए भर्ती के पश्चात प्रशिक्षण (अभिविन्यास और कार्यात्मक प्रशिक्षण) का प्रावधान किया जाएगा । इसके अलावा, गेल ऐसे अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र गैर-कार्यकारी/वर्कमैन ग्रेड के कार्मिकों (दिव्यांग सहित) को डिसप्लिन-वार प्रशिक्षण-सह-परिचय

कार्यक्रम प्रदान करेगा, जिसके लिए गेल की पदोन्नति नीति में लिखित/ऑनलाइन परीक्षण आयोजित करने का प्रावधान है । दिव्यांग कार्मिकों की कार्य संबंधी वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में उनके परिप्रेक्ष्य को समझने, संगठन/क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान करने, उन्हें कुशल कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए उचित और व्यवहार्य प्रौद्योगिकी/प्रणाली/सहायता को अपनाने के उद्देश्य से वार्षिक आधार (वि.व) पर गेल प्रशिक्षण संस्थान (जीटीआई) में हाइब्रिड मोड में दिव्यांग कार्मिकों की आवधिक बैठक आयोजित की जाएगी ।

7. <u>स्थानांतरण और तैनाती में प्राथमिकता :</u>

7.1 जहां तक संभव हो, दिव्यांग (PwBD) कार्मिकों को उनके मूल स्थान पर स्थानांतरण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, जब तक कि संबंधित कार्मिक अपनी इच्छानुसार किसी अन्य स्थान पर तैनाती के लिए अपनी सहमती दें ।

इसके अलावा, कार्यपालकों के लिए पदोन्नति नीति के संदर्भ में वरिष्ठ प्रबंधक (ई4 ग्रेड) से मुख्य प्रबंधक (ई5 ग्रेड) और उससे ऊपर की पदोन्नति के लिए विचार हेतु किसी कार्यपालक की दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र के बाहर की तैनाती से संबंधित शर्त दिव्यांग (PwBD) कार्मिकों के लिए लागू नहीं होगी ।

8. <u>दिव्यांगजनों (PwBD) को पदोन्नति :</u>

8.1 गेल केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी भी कार्मिक को पदोन्नति प्रदान करने से इनकार नहीं करेगा ।

8.2 भारत सरकार द्वारा प्राप्त राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुरूप, ग्रूप 'सी' के भीतर, ग्रूप 'सी' से ग्रूप 'बी' तक, ग्रूप 'बी' के भीतर और ग्रूप 'बी' से सबसे निचले स्तर ग्रूप 'ए' कैडर में रिक्तियों की कुल संख्या का 4% दिव्यांगजनों (PwBD) के लिए आरक्षित किया जाएगा । दिव्यांग (PwBD) कार्मिकों के उन संवर्गों में पदोन्नति के लिए आरक्षण लागू होगा जिनमें सीधी भर्ती, यदि कोई हो, तो वह 75% से अधिक नहीं है ।

9. <u>विशेष अवकाश, आवास आबंटन में प्राथमिकता, यदि कोई हो, और अन्य सुविधाएं :</u>

9.1 गेल अवकाश नियमों के अनुसार दिव्यांग (PwBD) कार्मिकों के लिए निम्न विशेष आकस्मिक अवकाश (एससीएल) स्वीकार्य होगा :

- दिव्यांगता से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु दिव्यांग (PwBD) कार्मिकों को एक कैलेंडर वर्ष में 4 दिन तक का एससीएल स्वीकार्य होगी ।
- दिव्यांग (PwBD) कार्मिक विभिन्न अन्य प्रयोजन हेतु एससीएल की अपनी सामान्य पात्रता के अलावा निकायों द्वारा आयोजित दिव्यांगता और विकास संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित सम्मेलन/सेमिनार/प्रशिक्षण/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 10 दिनों की एससीएल के लिए भी पात्र होंगे ।

9.2 भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप, दिव्यांग कार्मिकों को दिनांक 21.02.2022 से भत्ते और अनुलाभों की कैफेटेरिया की समग्र सीमा के अलावा कार्यालय तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य कार्मिकों को स्वीकार्य परिवहन भत्ते से दोगुना 'अतिरिक्त परिवहन भत्ता' निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जाएगा :

श्रेणी	अतिरिक्त परिवहन भत्ता (प्रति माह रु.)
ई-7 एवं ऊपर	2000
ई-5/ई-6	1700
ई-3/ई-4	1400
ई-0 से ई-2	1000
एस-0 से एस-7	800

10. दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण, सुविधाएं, सुख-साधन, बाधा-रहित पहुंच और अन्य प्रावधान :

10.1 गेल दिव्यांग कार्मिकों को बिना किसी असुविधा के प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों सहित सामान्य सुविधाओं, सूचना और संचार तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए उपयुक्त वातावरण और बुनियादी संरचना प्रदान करेगा ।

10.2 दिव्यांगजनों को पूरी तरह से समायोजित करने वाला सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, जहां तक संभव हो, दिव्यांगजनों की सुविधाजनक गतिशीलता और स्वतंत्र कार्य प्रणाली को सक्षम करने वाली इमारतों में सुविधाजनक व्यवस्थाएं की जाएंगी । अधिनियम की शर्तों के अनुसार दिव्यांगजनों की मुक्त आवागमन में बाधक वास्तुशिल्प बाधाओं को मौजूदा इमारतों में संशोधित किया जाएगा और भविष्य की इमारतों से हटा दिया जाएगा ।

10.3 दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप निम्नलिखित विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी :

- रैम्प्ड पद्धति : इमारत में प्रवेश में सुविधा के लिए रेलिंग के साथ रैंप का प्रावधान, विशेष रूप से आपात स्थिति (जैसे आग लगने की स्थिति में तत्काल निकासी) में सुरक्षा उपायों के लिए किया जाएगा ।
- व्हीलचेयर : इमारत में दिव्यांगजनों के प्रवेश में सुविधा हेतु इमारत के प्रवेश द्वार पर व्हीलचेयर का प्रावधान ।
- एक्सेस मार्ग : व्हीलचेयर, बैसाखी और वॉकर जैसे गतिशीलता उपकरणों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों की सहायता से चलने वाले व्यक्तियों के लिए बाधा रहित आवागमन हेतु इमारत के भीतर कॉरिडोर और एक्सेस मार्गों में पर्याप्त चौड़ाई ।
- प्रवेश द्वार : लोगों को प्रवेश प्रणाली तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए दरवाजों को खोलने के लिए चौड़ा स्थान और पर्याप्त जगह का प्रावधान । सभी आगंतुक लिफ्ट सीढ़ियों के बगल में स्थित होंगी ।
- सुलभ शौचालय : प्रतिष्ठानों में उपस्थिति के दौरान दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और सुरक्षा बढ़ाने हेतु शौचालयों को ग्रैब बार से सुसज्जित किया जाएगा ।
- पार्किंग सुविधा : शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए इमारत के प्रवेश द्वार से न्यूनतम दूरी पर प्रवेश द्वार के पास वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी ।
- लिफ्ट/एलिवेटर : सुनने और देखने में अक्षम व्यक्तियों के लिए सभी एलिवेटरों में ऑडियो सिग्नलिंग और विजुअल सिग्नलिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि वे लिफ्टों/एलिवेटरों में प्रभावी ढंग से चलने में सक्षम हो सकें ।

10.4 स्क्रीन रीडर के माध्यम से गेल की वेबसाइट और इंट्रानेट पोर्टल को दिव्यांग कार्मिकों के लिए सुलभ बनाया जाएगा तथा वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी दिशानिर्देश (डब्ल्यूसीएजी) 2.1 का अनुपालन किया जाएगा । इसके अलावा, दृष्टिबाधित कार्मिकों के लिए आवश्यकतानुसार स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराया जाएगा ।

10.5 दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि गेल कार्यालयों में उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक कार्य वातावरण प्रदान किया जा सके ।

11. प्रतिष्ठान द्वारा संपर्क एवं शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति :

11.1 दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम-8(3)(ई) एवं नियम-10(1) के अनुपालन में सभी कार्यालयों में एक अधिकारी को संपर्क एवं शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, जो इस नीति के अनुपालन और दिव्यांग कार्मिकों की शिकायतों के निवारण के लिए भी उततरदायी होगा ।

11.2 **संपर्क अधिकारी [दिव्यांग(PwBD)] :** विभिन्न कार्य केंद्रों/कार्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. हेतु आरक्षण संबंधी कार्यों हेतु नियुक्त नामित संपर्क अधिकारी, दिव्यांगजन (PwBD) से संबंधित आरक्षण संबंधी कार्यों के लिए भी संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिव्यांगजनों (PwBD) के कल्याण हेतु जारी किए गए दिशानिर्देशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

इसके अलावा, दिव्यांगजनों (PwBD) के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी को भी समय-समय पर नामित किया जाएगा । ऐसे संपर्क अधिकारियों की वर्तमान सूची **अनुलग्नक - II में संलग्न है ।**

11.3 **शिकायत निवारण अधिकारी** : कार्य केंद्रों/कार्यालयों के मानव संसाधन प्रभारी अपनी संबंधित यूनिट [दिल्ली/एनसीआर और जीजीएल, नोएडा में स्थित कार्यालयों के अलावा] के लिए शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे । इसके अलावा, अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांगजन से संबंधित मामलों के लिए संपर्क अधिकारी, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली, दिल्ली/एनसीआर और जीजीएल, नोएडा के कार्यालयों हेतु शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे । शिकायत निवारण अधिकारी निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार दिव्यांगजनों की शिकायतों का एक डिजिटल रजिस्टर का रख-रखाव करेंगे ।

गेल के अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूडी से संबंधित मामलों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी, मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे ।

12. पंजीकरण :

अधिनियम की धारा - 21 उप-धारा - 2 के अनुसार, गेल इस नीति की एक प्रति दिव्यांगजनों हेतु मुख्य आयुक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के समक्ष पंजीकृत करेगा ।

13. अनुपालन :

निगमित कार्यालय में निगमित मानव संसाधन विभाग के प्रमुख और संबंधित कार्य केंद्र/कार्यालय के मानव संसाधन प्रभारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे ।

14. अन्य :

14.1 भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य लाभ/सुविधा, जो गेल में कार्यरत दिव्यांगजनों के लिए लागू है, वह भी लागू की जाएगी ।

14.2 निदेशक (मानव संसाधन) समय-समय पर नीति के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन/संशोधन करने के लिए प्राधिकृत हैं ।

गेल में दिव्यांगजनों (PwBD) हेतु पहचान किए गए उपयुक्त पदों की सूची

क्र. सं.	पदनाम	ग्रेड	ग्रूप	निम्न श्रेणी में दिव्यांगजनों (PwBD) द्वारा धारण करने योग्य पद
1	मुख्य महाप्रबंधक (विधि)	ई-8	ए	क) बी, एल.वी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, बीएल, ओएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एमआई ङ) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
2	मुख्य प्रबंधक (नवीकरणीय ऊर्जा)	ई-5	ए	क) बी, एल.वी ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, डीडब्ल्यू, एएवी, सीपी, एलसी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ङ) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
3	मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन)	ई-5	ए	क) बी, एल.वी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, बीएल, ओएल, ओएएल, सीपी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई घ) एएसडी, एसएलडी, एमआई ङ) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
4	मुख्य प्रबंधक (चिकित्सा सेवाएँ)	ई-5	ए	ग) ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एसएलडी ड.) एमडी जिसमें उक्त (ग) से (घ) शामिल है
5	प्रबंधक (विपणन - कमोडिटी जोखिम प्रबंधन)	ई-3	ए	क) बी, एल.वी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, बीएलए, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी ड.) एमडी जिसमें उक्त (क) से (ग) शामिल है
6	प्रबंधक (विपणन अंतर्राष्ट्रीय एलएनजी और शिपिंग	ई-3	ए	क) बी, एल.वी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, बीएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एसएलडी, एमआई ङ) एमडी जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल है
7	वरिष्ठ अभियंता (रसायन)	ई-2	ए	क) बी, एल.वी ख) एचएच ग) ओए, ओएल, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ङ) एमडी जिसमें उपरोक्त (ए) से (डी) शामिल है
8	वरिष्ठ अभियंता (गेटेल (टीसी/टीएम))	ई-2	ए	ग) ओए, ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ग) से (घ) शामिल है

क्र. सं.	पदनाम	ग्रेड	ग्रूप	निम्न श्रेणी में दिव्यांगजनों (PwBD) द्वारा धारण करने योग्य पद्द
9	वरिष्ठ अभियंता (उपकरण)	ई-2	ए	ख) डी, एचएच ग) ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
10	वरिष्ठ अभियंता (मैकेनिकल)	ई-2	ए	ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
11	वरिष्ठ अभियंता (नवीकरणीय ऊर्जा)	ई-2	ए	क) बी, एल.वी ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, डीडब्ल्यू , एएवी, सीपी, एलसी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ङ) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
12	वरिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल)	ई-2	ए	ख) डी, एचएच ग) ओएल, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
13	वरिष्ठ अभियंता (मेटलर्जी)	ई-2	ए	ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
14	वरिष्ठ अधिकारी (अग्नि एवं संरक्षा)	ई-2	ए	-
15	वरिष्ठ अधिकारी (संविदा एवं प्रापण)	ई-2	ए	क) एल.वी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एसएलडी ङ) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
16	वरिष्ठ अधिकारी (विपणन)	ई-2	ए	क) बी, एल.वी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, बीएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एसएलडी, एमआई ङ) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
17	वरिष्ठ अधिकारी (वित्त एवं लेखा)	ई-2	ए	क) बी, एल.वी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, बीएलए, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी ड.) एमडी जिसमें उक्त (क) से (ग) शामिल है
18	वरिष्ठ अधिकारी (मानव संसाधन)	ई-2	ए	क) बी, एल.वी ख) डी, एचएच

क्र. सं.	पदनाम	ग्रेड	ग्रूप	निम्न श्रेणी में दिव्यांगजनों (PwBD) द्वारा धारण करने योग्य पद
				ग) ओए, बीए, ओएल, ओएएल, बीएल, सीपी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई घ) एएसडी, एसएलडी, एमआई ङ) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
19	वरिष्ठ अधिकारी (चिकित्सा सेवाएँ)	ई-2	ए	ग) ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एसएलडी ड.) एमडी जिसमें उक्त (ग) से (घ) शामिल है
20	वरिष्ठ अभियंता (बॉयलर ऑपरेशन)	ई-2	ए	
21	वरिष्ठ अधिकारी (ई एवं पी)	ई-2	ए	-
22	वरिष्ठ अभियंता (पर्यावरण इंजीनियरिंग)	ई-2	ए	क) बी, एल.वी ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, ओएएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ङ) एमडी जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल है
23	वरिष्ठ अधिकारी (निगमित संचार)	ई-2	ए	क) बी, एल.वी ग) ओए, बीए, ओएल, बीएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एसएलडी, एमआई ङ) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
24	वरिष्ठ अधिकारी (विधि)	ई-2	ए	क) बी, एल.वी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, ओएएल, बीएल सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एमआई ङ) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
25	वरिष्ठ अधिकारी (बीआईएस)	ई-2	ए	क) बी, एल.वी ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, ओएएल, बीएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एसएलडी, एमआई ङ) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
26	कार्यकारी प्रशिक्षु (केमिकल)	ई-2	ए	क) बी, एल.वी ख) एचएच ग) ओए, ओएल, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ङ) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
27	कार्यकारी प्रशिक्षु (सिविल)	ई-2	ए	ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, सीपी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई

क्र. सं.	पदनाम	ग्रेड	ग्रूप	निम्न श्रेणी में दिव्यांगजनों (PwBD) द्वारा धारण करने योग्य पद
				ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
28	कार्यकारी प्रशिक्षु (गेटेल टीएम/टीसी)	ई-2	ए	ग) ओए, ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ग) से (घ) शामिल है
29	कार्यकारी प्रशिक्षु (बीआईएस)	ई-2	ए	क) बी, एल.वी ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, ओएएल, बीएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एसएलडी, एमआई ङ) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
30	कार्यकारी प्रशिक्षु (इंस्ट्रूमेंटेशन)	ई-2	ए	ख) डी, एचएच ग) ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
31	कार्यकारी प्रशिक्षु (मैकेनिकल)	ई-2	ए	ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एसएलडी, एमआई ङ) एमडी जिसमें उपरोक्त (ख) से (घ) शामिल है
32	कार्यकारी प्रशिक्षु (इलेक्ट्रिकल)	ई-2	ए	ख) डी, एचएच ग) ओएल, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम) एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
33	अधिकारी (सुरक्षा)	ई-1	बी	ग) ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एसएलडी ड.) एमडी उक्त (ग) से (घ) तक शामिल है
34	अधिकारी (राजभाषा)	ई-1	बी	क) बी, एल.वी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई घ) एएसडी, एसएलडी, एमआई ङ) एमडी जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल है
35	अधिकारी (प्रयोगशाला)	ई-1	बी	ग) ओए, ओएल, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ग) से (घ) शामिल है
36	कनिष्ठ अभियंता (केमिकल)	एस-7	बी	ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है

क्र. सं.	पदनाम	ग्रेड	ग्रूप	निम्न श्रेणी में दिव्यांगजनों (PwBD) द्वारा धारण करने योग्य पद्द
37	कनिष्ठ अभियंता (मैकेनिकल)	एस-7	बी	ख) डी, एचएच ग) ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
38	फोरमैन (इलेक्ट्रिकल)	एस-5	सी	ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
39	फोरमैन (इंस्ट्रूमेंटेशन)	एस-5	सी	ख) डी, एचएच ग) ओएल, सीपी , एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम) , एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
40	फोरमैन (मैकेनिकल)	एस-5	सी	ख) डी, एचएच ग) ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
41	फोरमैन (सिविल)	एस-5	सी	ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम, एमओडी) , एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
42	कनिष्ठ अधीक्षक (ओएल)	एस-5	सी	क) बी, एलवी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी, एमडीवाई घ) एएसडी (एम, एमओडी), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
43	कनिष्ठ अधीक्षक (मानव संसाधन)	एस-5	सी	क) बी, एलवी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी, एमडीवाई घ) एएसडी (एम, एमओडी), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
44	कनिष्ठ कैमिस्ट	एस-5	सी	ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
45	तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)	एस 3	सी	ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उपरोक्त (ख) से (घ) शामिल है

क्र. सं.	पदनाम	ग्रेड	ग्रूप	निम्न श्रेणी में दिव्यांगजनों (PwBD) द्वारा धारण करने योग्य पद
46	ऑपरेटर (केमिकल)	एस 3	सी	ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
47	तकनीशियन (इलेक्ट्रिकल)	एस 3	सी	ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
48	तकनीशियन (इंस्ट्रूमेंटेशन)	एस 3	सी	ख) डी, एचएच ग) ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम) , एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
49	तकनीशियन (मैकेनिकल)	एस 3	सी	ख) डी, एचएच ग) ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम) , एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
50	तकनीशियन (टेलीकॉम एवं टेलीमेट्री)	एस 3	सी	ख) डी, एचएच ग) ओएल, सीपी , एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
51	सहायक (सविदा एवं प्रापण)	एस 3	सी	ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम, एमओडी), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (ख) से (घ) शामिल है
52	लेखा सहायक	एस 3	सी	क) बी, एलवी ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एएसडी (एम, एमओडी), एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
53	विपणन सहायक	एस 3	सी	क) बी, एलवी ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू , एएवी घ) एसएलडी, एमआई ड.) एमडी जिसमें उक्त (क) से (घ) शामिल है
54	ऑपरेटर (अग्नि)	एस 3	सी	-

प्रयुक्त श्रेणी संक्षिप्तियां : बी= नेत्रहीन (Blind), एलवी= अल्प दृष्टि (Low vision), डी= बधिर (Deaf), एचएच= श्रवण समस्या (Hard of Hearing), ओए= एक हाथ (One Arm), ओएल= एक पैर (One Leg), बीए= दोनों हाथ (Both Arms), बीएल= दोनों पैर (Both Legs), ओएएल= एक हाथ तथा एक पैर (One Arm and One Leg), बीएलओए = दोनों पैर तथा एक हाथ (Both Legs and One Arm), बीएलए = दोनों पैर-हाथ (Both Legs Arms), सीपी = सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy), एलसी = लेप्रोसी क्योर्ड (Leprosy Cured), डीडब्ल्यू = बौनापन (Dwarfism), एएवी = एसिड हमले से पीड़ित (Acid Attack Victims), एमडीवाई = मसकुलर डिस्ट्रॉफी (Muscular Dystrophy), एएसडी= ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर (Autism Spectrum Disorder) (एम = माइल्ड, एमओडी = मोडरेट), आईडी= बौधिक दिव्यांगता (Intellectual Disability), एसएलडी= विशिष्ट लर्निंग दिव्यांगता (Specific Learning Disability), एमआई = मानसिक बीमारी (Mental Illness), एमडी= विविध दिव्यांगता (Multiple Disability)

अनुलग्नक- II

मुख्य संपर्क अधिकारी एवं गेल में दिव्यांगजनों (PwBD) हेतु संपर्क अधिकारी

1. **मुख्य संपर्क अधिकारी [दिव्यांगजन(PwBD)] :**

श्री देबानंद बेरा
महाप्रबंधक (बी आई एस)
गेल, नोएडा
ई-मेल आईडी: dbera@gail.co.in
मोबाइल नंबर: 9811788700

2. **संपर्क अधिकारियों [दिव्यांगजन(PwBD)] की सूची :**

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित गेल कार्य केंद्र/कार्यालय	नाम	पद का नाम	ईमेल आईडी	मोबाइल नंबर
बिहार, झारखंड और ओडिशा	श्री अमित किस्पोट्टा	महाप्रबंधक (मा. सं.)	amitkispotta@gail.co.in	9412771672
नई दिल्ली	श्री बी के कुल्लू	महाप्रबंधक (मा.सं-पी एंड ईआर)	bkkullu@gail.co.in	9967925113
उत्तर प्रदेश (एनसीआर के अलावा)	श्री शांतोनु मित्रा	महाप्रबंधक (मा.सं.)	shantonu.mitra@gail.co.in	9818005643
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)	श्री प्रदोष भारद्वाज	महाप्रबंधक (मा.सं.)	pbhardwaj@gail.co.in	9105068068
राजस्थान	सुश्री सुषमा सुरीन	महाप्रबंधक (मा.सं)	ssurin@gail.co.in	9599771068
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	श्री संजय वर्मा	महाप्रबंधक (मा.सं.)	sanjayverma@gail.co.in	9871885599
कर्नाटक, केरल एवं गोवा	श्री सी शंकर	उप महाप्रबंधक (मा.सं.)	csankar@gail.co.in	9445445646
गुजरात	श्री शिव पुरुषार्थी	उप महाप्रबंधक (मा.सं.)	shivp@gail.co.in	9810597906
महाराष्ट्र	डॉ. संजय कुमार साहू	मुख्य प्रबंधक (मा.सं.)	sanjaysahoo@gail.co.in	9717877244
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	श्री प्रभाकर देवी	मुख्य प्रबंधक (मा.सं.)	prabhakar.deevi@gail.co.in	9966190001
तमिलनाडु एवं पुडुचेरी	श्री वी गणेश बाबू	मुख्य प्रबंधक (मा.सं.)	vganeshbabu@gail.co.in	7382160550
त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं असम	सुश्री राप्ती बागची	वरिष्ठ अधिकारी (मा.सं.)	rapti.bagchi@gail.co.in	7290007015